-:प्रेस नोटः-

दिनांक- 22.04.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरुप अलग-अलग 02 मामलों में कुल 03 अभियुक्तों को अर्थदण्ड से कराया गया दण्डित।

विवरण- पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान **ऑपरेशन कन्विक्शन** के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में अलग-अलग 02 मामलों में कुल 03 अभियुक्तों को कुल 35000 रुपय के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया जिनका विवरण निम्न है-

अभियोग-

1. थाना तिंदवारी पर पंजीकृत मु0अ0सं0-86/15 धारा 3/25 आयुध अधिनियम के अभियुक्त चन्द्रभूषण पुत्र बिंदा निवासी मझीवा थाना बबेरु जनपद बांदा को 5000 रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया।
2. थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0-603/11 धारा 324 भादवि के अभियुक्त 1. विक्रम पुत्र हीरा निवासी ग्राम मडेरी थाना मटौंध 2. गौरव पुत्र राजबहादुर निवासी क्योटरा थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा को कुल 30000/ रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया।